

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(16)ग्रावि/नरेगा/मेट-11/09-10

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त, राजस्थान।

12 NOV 2009

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विकलांगों को कार्य पर नियोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के राज पत्र विशेषांक 24.07.06 के बिन्दु संख्या 16(9) अवलोकन करे, जिसमें "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा रोजगार हेतु आवेदन करने पर उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य देना होगा" उल्लेखित है। इसी के साथ विभाग के आदेश 15.06.09 के बिन्दु संख्या 3 (2) में मेट के चयन में विकलांग को प्राथमिकता तथा बिन्दु संख्या 7.3.2 में विकलांग महिलाओं को केच की जिम्मेदारी देने एवं 7.3.3 में श्रमिकों को पानी पिलाने के लिए नियोजन हेतु प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश है।

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Ashagram Trust in collaboration with Poorest Area Civil Society द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बडवानी जिले में विकलांगों के अध्ययन कर रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसमें विकलांग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का वर्गीकरण है। राज्य के भीलवाडा जिले में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी यह अवगत हुआ है कि विकलांग व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहता है। वह किसी प्रकार की रियायत न चाहकर अपने आत्म सम्मान के साथ जीना चाहता है।

इस संबंध में विकलांग व्यक्ति योजनान्तर्गत अपनी क्षमता के अनुसार क्या क्या कार्य कर सकता है उसकी सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के प्रावधान एवं समय समय पर उपरोक्त निर्देशों के अनुसार इन विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य पर नियोजन किया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाषास्त)
आयुक्त, ईजीएस

मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

| | |
|---|--|
| • पीने का पानी की व्यवस्था। | • बच्चों की देखभाल में मदद। |
| • वृक्षारोपण का कार्य। | • सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य। |
| • मिट्टी भरना। | • मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। |
| • भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल बनाना। | • कांक्रीट मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। |
| • सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना। | • रेत या मिट्टी को तगारियों में भरना। |
| • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) | • गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना। |
| • मलबे को ट्राली में डालना। | • तालाबों के मलबों को खोदना। |
| • मलबे को तगारी में भरना। | • भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना। |
| • ऐरेन या पत्थर लाना। | • ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना। |
| • भूमि समतलीकरण का कार्य करना। | • मेढ़ बंधान करना। |
| • जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना। | • खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना। |
| • सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। | • पानी डालना, गिट्ठी डालना। |

मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

मंदबुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

| | |
|---|---|
| • पीने का पानी की व्यवस्था। | • बच्चों की देखभाल में मदद। |
| • वृक्षारोपण का कार्य। | • सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य। |
| • मिट्टी भरना। | • मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। |
| • कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। | • सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना। |
| • रेत या मिट्टी को तगारियों में भरना। | • मलबे को ट्राली में डालना। |
| • तालाबों के मलबों को खोदना। | • मलबे को तगारी में भरना। |
| • भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना। | • ऐरेन या पत्थर लाना। |
| • ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना। | • भूमि समतलीकरण का कार्य करना। |
| • मेढ़ बंधान करना। | • जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना। |
| • खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना। | • सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। |
| • पानी डालना, गिट्ठी डालना। | |

नोट :- एक बार कार्य को निर्देशित करने की एवं एक बार करके बताने की जरूरत है। ये व्यक्ति कार्य को समझने के बाद कार्य को बेहतर व अच्छा कर सकते हैं।

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • वृक्षारोपण का कार्य • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना • कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना • पानी डालना, गिट्ठी डालना | <ul style="list-style-type: none"> • वृक्षारोपण का कार्य • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना) • कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना • पानी डालना, गिट्ठी डालना |
|--|---|

कौन-कौन सी गतिविधियाँ भीत पर कब्जे हैं, उन व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्य

- पीने का पानी की व्यवस्था।
- बच्चों की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- निर्माण स्थल पर नई बनी दिवारों को पानी देना।
- कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।
- पानी डालना, गिट्ठी डालना।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. एक आंख से न दिखाई देना एवं दूसरी से कम दिखाई देना उन व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्य

| | |
|---|--|
| • पीने का पानी की व्यवस्था। | • बच्चों की देखभाल में मदद। |
| • वृक्षारोपण का कार्य। | • सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य |
| • मिट्टी भरना। | • मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। |
| • भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल बनाना। | • कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। |
| • सीमेन्ट व ईंट उठाकर पहुँचाना। | • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना। |
| • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) | • गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना। |
| • मलबे को ट्राली में डालना। | • तालाबों के मलबे को खोदना। |
| • मलबे को तगारी में भरना। | • भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना। |
| • ऐरेन या पत्थर लाना। | • ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना। |
| • भूमि समतलीकरण का कार्य करना। | • मेढ़ बंधान करना। |
| • जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना। | • खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना। |
| • सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। | • पानी डालना, गिट्ठी डालना। |

2. दोनों आंखों से न दिखाई देने वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- पीने का पानी की व्यवस्था।
- बच्चों की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।

- परिवार के सदस्यों को भी कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास हो कि विकलांग व्यक्ति घर पर बोझ नहीं है, अपितु इनकी बदौलत परिवार में एक आय का जरिया भी बना है।

- ऐसे कार्यों को विकलांग व्यक्ति से करवाने के लिए उन्हें शांति से समझाना चाहिए, साथ ही कार्य के तरिकों व उस क्षेत्र की दूरी को उनके कदमों के नाप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

| सहारे के द्वारा कार्य | बिना सहारे के द्वारा कार्य |
|---|---|
| भरना। • कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। | <ul style="list-style-type: none"> • भवन निर्माण – कांक्रीट मटेरियल बनाना। • कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। • सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना। • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना। • पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) • कुआँ गहरीकरण – कुएँ के अन्दर गल को टोकरी में डालना। • गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना। • मलबे को ट्राली में डालना। • तालाबों के मलबे को खोदना। • मलबे को तगारी में भरना। • भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना। • ऐरेन या पत्थर लाना। • ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना। • भूमि समतलीकरण का कार्य करना। • मेढ़ बंधान करना। • जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना। • खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना। • सड़क निर्माण – कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। • पानी डालना, गिट्टी डालना। |

4. दोनो पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- बच्चों की देखभाल में मदद।
- वृक्षारोपण का कार्य।
- रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना।
- गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना।

(कुएँ से मलबा बड़े डाले में भरा जाता है और दस से पन्द्रह व्यक्ति को खिंचना पड़ता है, यदि यह मलबा भरने का कार्य छोटे डाले में भरा जाये और दस पन्द्रह व्यक्तियों की जगह तीन से चार विकलांग व्यक्ति ही बैठें – बैठे ही खिंचे तो कार्य भी जल्दी होगा और अपेक्षाकृत मानव श्रम भी कम लगेगा। साथ ही विकलांग व्यक्तियों को भी कार्य मिल सकेगा।)

- कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना।

5. पैर व एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

| सहारे के द्वारा कार्य | बिना सहारे के द्वारा कार्य |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • पीने का पानी की व्यवस्था • बच्चों की देखभाल में मदद | <ul style="list-style-type: none"> • पीने का पानी की व्यवस्था • बच्चों की देखभाल में मदद |

अस्थिर/असहज व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

| | |
|--|---|
| 1 पीने का पानी की व्यवस्था | 2 बच्चों की देखभाल में मदद। |
| 3 वृक्षारोपण का कार्य | 4 सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य |
| 5 मिट्टी भरना | 6 मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। |
| 7 भवन निर्माण - कांक्रीट मटेरियल बनाना | 8 कांक्रीट, मटेरियल का स्थान परिवर्तन करना। |
| 9 सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना | 10 रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना। |
| 11 नई सिमेंटेड दिवार पर पानी डालना | 12 कुआँ गहरीकरण-कुएँ के अन्दर मिट्टी को ढोकरों में डालना। |
| 13 गल को कुएँ से बाहर खिंचाई कर निकलाने में मदद करना | 14 मलबे को ट्राली में डालना |
| 15 सालाबों के मलबे को खोदना | 16 मलबे को तगारी में भरना |
| 17 भरी हुई तगारी को ट्राली में डालना | 18 ऐरेन या पत्थर लाना |
| 19 ऐरेन या पत्थर को सही जगह पर जमाना | 20 भूमि समतलीकरण का कार्य करना |
| 21 मेढ़ बंधान करना। | 22 जल संरक्षण की भूमि में खन्ति/गठ्ठा करना |
| 23 खन्ति/गठ्ठे की मिट्टी को अलग जमाना | 24 सड़क निर्माण - कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना |
| 25 पानी डालना, गिट्टी डालना | |

अस्थिर/असहज व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> पीने का पानी की व्यवस्था वृक्षारोपण का कार्य। रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना मेढ़ बंधान करना। | <ul style="list-style-type: none"> बच्चों की देखभाल में मदद। सीमेन्ट व ईट उठाकर पहुँचाना। नई बनी दिवार को पानी डालना। पानी डालना, गिट्टी डालना। |
|---|---|

2. दो हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

■ बच्चों की देखभाल में मदद।

(परिवार के सदस्यों द्वारा या बच्चों द्वारा मदद की जा सकती है, या उन्हें भी काम दिया जा सकता है। जिससे विकलांग व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्म बल भी बढ़ेगा।)

3. एक हाथ से कमजोर व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

| सहारे के द्वारा कार्य | बिना सहारे के द्वारा कार्य |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> पीने का पानी की व्यवस्था। बच्चों की देखभाल में मदद। वृक्षारोपण का कार्य। पानी की तरी करना। (दिवार पर पानी डालना।) रेत या गिट्टी को तगारियों में | <ul style="list-style-type: none"> पीने का पानी की व्यवस्था बच्चों की देखभाल में मदद वृक्षारोपण का कार्य सिंचाई - नहर खुदाई का कार्य मिट्टी भरना। मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। |

ग्राम परिवर्तन वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

| | |
|---|---------------------------------------|
| • पीने का पानी की व्यवस्था। | • बच्चों की देखभाल में मदद। |
| • वृक्षारोपण का कार्य। | • मिट्टी भरना। |
| • मिट्टी को बाहर फेंकना/ट्राली में डालना। | • रेत या गिट्टी को तगारियों में भरना। |
| • मलबे को ट्राली में डालना। | • कच्चे रास्ते को झाड़ू से साफ करना। |
| • पानी डालना, गिट्टी डालना। | |

- सहयोग के रूप में दूसरों के साथ मिलकर अच्छा कार्य कर सकते हैं।
- सिर पर तगारी चढ़ा देने पर मलबे को फेंकने का कार्य कर सकते हैं।

ग्राम परिवर्तन वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

ग्राम परिवर्तन वाले व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले कार्य

16/02/06 :- ग्राम पंचायत तलून मे चर्चा :-

ग्राम पंचायत तलून खूर्द व बजट्टा बुजुर्ग मे रोजगार गारंटी मे जॉब कार्ड के संबंध मे चर्चा करने पर सरपंच और पंचायत के पंच श्री जगदिश कुमावत ने बताया कि हमारी पंचायत मे सभी के परिवार के मुखिया के नाम से जॉब कार्ड बना है और जिस परिवार मे मुखिया विकलांग है उसी के नाम से जॉब कार्ड बना है। जिस परिवार मे 18 वर्ष या अधिक उम्र का विकलांग व्यक्ति होकर और वह कार्य मांगने के लिये आवेदन करता है तो हम उसे कार्य जरूर देगे। वह पानी पिलाने या बच्चों को रखने का कार्य भी कर सकता है।

साथ ही पंचायतों को बताया गया की इस योजना मे क्या-क्या कार्य हो सकते हैं। उन सभी कार्यों मे किस प्रकार का विकलांग व्यक्ति क्या-क्या कार्य कर सकता है। विकलांग व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सूची भी पंचायतों में दी गई।

17-18/02/06 दो दिवसिय कार्यकर्ताओं की क्षमता विकास प्रशिक्षण में NREGA पर चर्चा :-
आशाग्राम ट्रस्ट में दिनांक 17-18/02/06 को कार्यकर्ताओं के लिये दो दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किया था। जिसमे रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा की गई।

प्रशिक्षण में हुई चर्चा के बिन्दु :-

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है 100 दिन का रोजगार मिलेगा।
- पहले पंचायत में जॉब कार्ड बनवाने के लिये पंजीयन करवाना।
- पंजीयन मुखिया के नाम से होगा जिसमे सभी वयस्क सदस्यों के नाम होंगे।
- पंजीयन होने व कार्ड बनने के बाद काम का आवेदन पंचायत में देना होगा।
- काम कम से कम 14 दिन के लिये मांगना होगा।
- एक दिन की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 60 रु प्रतिदिन होगी।
- 15 दिन मे काम न दिये जाने पर भत्ता दिया जायेगा।
- 5 किलो मिटर से अधिक दूरी पर कार्य मिलने पर मजदूरी का 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान दिया जायेगा।
- आवेदन, व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से भी कर सकते हैं, जिसका रसिद लेना अनिवार्य है।